

Office of the District Basic Education Officer PRATAPGARH

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that BACHAI SINGH SHIKSHAN SANSTHAN, PHULWARI KATRA ROAD
PRATAPGARH UP is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8). The Recognition number alloted to BACHAI SINGH SHIKSHAN SANSTHAN is 285763. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

06-06-2023(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4.School Type

Pre-Primary, Primary and Junior School

5.Recognition No.

285763

DATE:- 06-06-2023

PLACE:- PRATAPGARH



Dosh

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

MANAGER

Bachal Singh Sikshan Sanch Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (C.r.,

signed using www.signer.Digital WebLib

कार्यालय-जिला बेसिक श्रिष्टा अधिकारी,प्रतापगढ

पत्रांक / मान्यता / 2057-63

/2017-18 दिनांक 03/05/17

प्रबन्धक,

बचई सिंह शिक्षण संस्थान फुलवारी कटरा रोड

प्रतापगढ।

विषयः-निःशुल्क और अभिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के ि मान्यता प्रमाण पन्न।

महोदय / महोदया,

आप के आवेदना पन्न दिनामिन 26-08-2016 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पन /निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से में बर्बई सिंह शिक्षण संस्थान फुलवारी कटरा रोड प्रतापगढ़ को तारीख 01-04-2017 तारीख 31-03-2020 तक तीन वर्ष की अविध के लिये प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अविध मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन कर के लिये कोई बाध्यता विविधित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क 2-

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत आस-पड़ीस के क्रमज़ीर वर्गी और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुः और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

पैस् 3 भें निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये-विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

सोसाइटी / विद्यालय किसी कैंप्रिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-5-

या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपाधी का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिखें गर्थ किसी भी बालक को ,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कहा फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बालक को शासीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा! (ii)
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा, सत्तीर्ण करने की अपेक्षा (iii) जाएगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अन्तर (iv) एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपनेध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की प्र (v) दिया जाना।
 - अध्यामको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के (vi) की जाती है। पुरुष्ट यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होते न्यूनतम अर्हताय नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और (viii) अध्यापक स्वयं की किसी तिजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा! विद्यालय अधिनियम की धारा वर्ध में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनक्र रखेगा।

निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है:-विद्यालय परिसार का क्षेत्रफल--

कुल निर्मित क्षेत्र-क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल--

5000 0000 3 000 at 100

MANAGER Bachai Singh Sikshan Sanst Fulwari-Katra Road, Pratapgarh (Cara)

ACAD

PRINCIPAL

कक्षाओं की संख्या—	
प्राध्यापक सह कार्य	10
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय— पेयंजल संविधा—	03
पेयजल सुविधा-	हे
मिख-डे-मील क्ला के	含
बाधा सहित पहुंच	~~
अध्यापन पठन सामागी शकील केल	है

भागी/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता -उपलब्ध है विद्यालय के परिसारों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाए नहीं चट

विद्याल्य भवनों या आन्य सांख्यामाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनी 10-11-

विद्यालय को सोसाइटी राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइ द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया

विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेंड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमानि किया जाना चाहिये तथा उद्मित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवर की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

आप के विद्यालय को आवंदित मान्यता कोड संख्यांक E-0193 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्याट के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुद्राना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शि अधिकारी द्वारा अपिक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, मान्यता सम्बंधी शर्तों के सतन् अनुपालन को सुनिश्चित करने या बिद्यालय के कार्यकरण की कनियों को

सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए। 16-

विभागीय आदेशों / निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने ट 17-अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त। 18-

भवदीय

बी०एनं०सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी • प्रतापगढ /2017-18 दिनांक ऊक्तवत

पु०सं० / मान्यता / प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रौषित।

1—अपर शिक्षा निदेशक (बिसिक) उठ्या शिक्षा निवेशालय, इलाहाबाद।

2—सचिव, छ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

3-सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद।

4-जिला समाज कुल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़।

5-खण्ड शिक्षा अधिकारी सदर प्रतापगढ़।

6-कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेत्।

(बीउएन०सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ

Bachai Singh Sikshan S Fulwari-Katra Road, Pratapgan

